

दिल्ली विधान सभा  
समाचार भाग-2

॥ विधान सभा एवं अन्य भागलों के बारे में सामान्य जानकारी ॥  
बुधवार, अप्रैल 6, 1994/चैत्र 16, 1916 (शक)

संख्या-80

दिल्ली महिला आयोग विधेयक, 1994

॥ श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल, मंत्री समाज कल्याण द्वारा सचिव, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पत्र सं०-2760 दिनांक 6-4-1994 की प्रतिलिपि ॥  
"उप-राज्यपाल महोदय को दिल्ली महिला आयोग विधेयक, 1994 की विषयवस्तु बताए जाने पर उन्होंने इस विधेयक पर विधान सभा द्वारा खण्ड 22(3) के अन्तर्गत विचार करने की सिफारिश की है।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART - II

(General information relating to legislative and other matters)

Wednesday, April 6, 1994/Chaitra 16, 1916 (Saka)

No. 80

The Delhi Commission for Women Bill, 1994

(Copy of letter No. 2760 dated 6th April, 1994 from Shri S.P. Ratawal, Minister of Social Welfare to the Secretary, Delhi Vidhan Sabha)

"Having been apprised of the subject matter of the Delhi Commission for Women Bill, 1994, the Lt. Governor, in pursuance of the provisions of the sub-section 3 of the section 22, recommends the consideration of the said Bill by the Vidhan Sabha".

P.N. GUPTA  
SECRETARY